इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
India Infrastructure Finance Company Limited
(A Govt. of India Enterprise)

IIFCL
ISO 9001:2015

संदर्भ:आईआईएफसीएल/आरटीआई /2017-18/24/ २९२४६

दिनांक: 27 सितंबर, 2017

सेवा में,
श्री भगवत कुमार सेठ
05-गोपाल सिंह, पीलीभीत,
उत्तर प्रदेश – 262001

विषय: सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन पत्र।

महोदय,

यह पत्र डीएफएस पत्र सं. 22/70/2017-कल्याण दिनांक 18 सितंबर, 2017 के संदर्भ में है जो आईआईएफसीएल को 20 सितंबर, 2017 को प्राप्त हुआ था मांगी गयी सूचना का बिंदु– वार विवरण अनुलंग्नक- I के तौर पर उपलब्ध कराया गया है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,

श्याम शरण

डॉ. एस.एस. गर्ग
महाप्रबंधक एवं मुख्य जनसूचना अधिकारी

प्रति: श्री अरूण कुमार, सीपीआईओ/अवर सचिव
दूसरा तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली

संलग्नक: अनुलंग्नक- I

पंजीकृत कार्यालय : 8 वीं मंजिल, हिन्दुस्तान टाईम्स हाउस, 18 & 20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष : 91–11–23708263–64 फैक्स : 91–11–23766256, 23730251
Regd. Office : 8th Floor, Hindustan Times House, 18 & 20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 Phone : 91-11-23708263-64 Fax : 91-11-23766256, 23730251
CIN : U67190DL2006GOI144520 वैबसाईट/Website : www.iifcl.org ई–मेल/E-mail : info@iifcl.org

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
हिन्दी में काम करना आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

अनुलग्नक - I

अनुबंध-I

इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ाईनैन्स कम्पनी लिमिटेड

श्री भगवत कुमार सेठ द्वारा जनसूचना अधिकार कानून 2005 के तहत पूछे गए सवालों पर आईआईएफसीएल का क्रमवार उत्तर निम्न है :-

बिन्दु स.	जनसूचना अधिकार कानून 2005	**आईआईएफसीएल का उत्तर**
01	कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति साधारण/सामान्य विकलांग की श्रेणी में हैं एवं कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति गंभीर विकलांग की श्रेणी में हैं ? कृपया संदर्भित विवरण की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा कीजिए।	वर्तमान में, आईआईएफसीएल में कार्यरत 89 अधिकारियों में से तीन अधिकारी विकलांगता की श्रेणी में हैं और ये सभी व्यक्ति गंभीर विकलांग की श्रेणी में हैं ।
02	किसी अचल संपति के क्रय/ अनुबन्ध/पट्टा विलेख पर, स्टांप एवं निबंधन हेतु दिव्यांग को उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली NCR में मिलने वाली छूट के, नवीनतम शासनदेश एवं गज़ट की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिए।	आईआईएफसीएल पर लागू नहीं है ।
03	घरेलू एवं अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा में यदि 50 प्रतिशत ऑर्थोपैड़िक दिव्यांग जन को किराये आदि में छूट का प्रावधान हो, तो कृपया संदर्भित विवरण को छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।	आईआईएफसीएल पर लागू नहीं है ।
04	50 प्रतिशत ऑर्थोपैड़िक दिव्यांग जन द्वारा किसी दो पहिया (स्कूटर) अथवा चार पहिया (कार) की खरीद पर कुल कीमत अथवा विभिन्न टैक्सों में रियायत का प्रावधान हो, तो कृपया संदर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।	आईआईएफसीएल पर लागू नहीं है ।
05	निजी व्यवसाय करने हेतु दिव्यांग जन को कम ब्याज दर अथवा सब्सिडी पर 20 (बीस) लाख अथवा उससे अधिक राशि का ऋण दिये जाने का प्रावधान हो, तो कृपया संदर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए, पीलीभीत से निकटतम, संबन्धित संस्था का डाक पता, सम्पर्क नं० एवं ई मेल आई०डी० अंकित करने की कृपा कीजिये।	आईआईएफसीएल बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के विकास एवं वित्तपोषण हेतु एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) है। कंपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण का कार्य करती है एवं कंपनी द्वारा खुदरा ऋण (रीटेल लोन) का कार्य नहीं किया जा रहा है। अत: आईआईएफसीएल पर लागू नहीं है ।
06	दिव्यांग जन के न्यायालय में लंबित वादों के गुण-दोष के आधार पर **शीघ्र निस्तारण (expedite)** का प्रावधान हो, तो कृपया संदर्भित प्रावधान/शासनादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।	आईआईएफसीएल पर लागू नहीं है ।
07	गरीब दिव्यांग जन को इलाज के लिये यदि अनुदान / बिना ब्याज का ऋण दिये जाने का प्रावधान हो, तो कृप्या संदर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।	आईआईएफसीएल पर लागू नहीं है ।
08	दिव्यांग जन हेतु यदि किसी विशेष जीवन बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान हो तो कृप्या संबन्धित बीमा का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।	आईआईएफसीएल पर लागू नहीं है ।

V